निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 35/2023
दायरा दिनांकः—20.10.2023
निर्णय दिनांकः— 30.5.25

उनवान

1. दिनेश कुमार आयु 27 वर्ष आत्मज कन्हैयालाल
2. रिंकु आयु 25 वर्ष आत्मज कन्हैयालाल
3. शांति बाई आयु 58 वर्ष पत्नि कन्हैयालाल
4. कान्ति बाई आयु 60 वर्ष पुत्री नारायण
5. गीता बाई आयु 62 वर्ष पुत्री नारायण
6. द्वोपती बाई आयु 45 वर्ष पुत्री नारायण
7. धनराज आयु 53 वर्ष पुत्र नारायण
8. नाथूलाल आयु 56 वर्ष पुत्र नारायण जातियान धाकड निवासीगण कडैयावन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः— 30.5.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री जगदीश चन्द नागर — प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम कड़ैयावन तहसील छबड़ा में भूमि खसरा नंबर 25 रकबा 3.8824 है० प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण के नाम के साथ वर्तमान राजस्व रिकार्ड में देह माफियात रिज्यूमेशन दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित भूमियात प्रार्थीगण की पैत्रिक जायदाद है। जो प्रार्थीगण को विरासत से प्राप्त हुई है। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित भूमियात गजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2046 से 2049 में नारायण बालिग, गोपाल नाबालिग पिता मोतीलाल सरपरस्ती माता गंगा के नाम दर्ज थी। इसके बाद संवत् 2050—2054 राजस्व रिकार्ड में खाता यथावत रहते हुए खातेदार गोपाल की मृत्यु हो जाने पर इंतकाल नंबर 681 से उसके वारिसान पुत्रान जगदीशप्रसाद, बाबूलाल, श्रीलाल, हेमराज, पुत्रियां विमलाबाई, चंद्रकला, बेवा गुलाबबाई के नाम दर्ज हुआ। इसके बाद राजस्व रिकार्ड संवत्

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

2054–57 खाता यथावत रहते हुए इंतकाल नंबर 945 दिनांक 19.10.2001 से खातेदारान की आपसी सहमति बंटवारे से उक्त भूमि नारायण आत्मज मोतीलाल धाकड़ के नाम दर्ज हुई। राजस्व रिकार्ड संवत् 2058–2061 एवं 2062–2065 एवं संवत् 2066–2069 में उक्त भूमियात नारायण आत्मज मोतीलाल जाति धाकड़ के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। जिसमें राजस्व रिकार्ड संवत् 2046–57 तक उक्त भूमि में खातेदारान के साथ देह माफियाज रिज्यूमेशन दर्ज नहीं था। राजस्व कर्मचारियों की गलती केके कारण वर्तमान जमाबंदी संख्या 2074–77 के राजस्व रिकार्ड में भूमि खसरा नंबर 25 में खातेदारान के नाम के साथ माफियात रिज्यूमेशन दर्ज हो गया है। जबकि पूर्व के राजस्व रिकार्ड संवत् 2046–2057 तक कभी भी उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में माफियात रिज्यूमेशन दर्ज नहीं था। राजस्व कर्मचारी की गलती के कारण प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 25 वाके ग्राम कड़ैयावन के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम के साथ माफियात रिज्यूमेशन दर्ज हो जाने से प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज माफियात रिज्यूमेशन नाम को हटवाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित भूमियात के राजस्व रिकार्ड में माफियात रिज्यूमेशन दर्ज हो जान से प्रार्थीगण उक्त भूमि पर ऋण नहीं ले पा रहे हैं। जिससे प्रार्थीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पैराकार सरकार से रिपोर्ट ली गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन तहसील छबडा सम्वत् 2046–49 खाता संख्या 308 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन तहसील छबडा सम्वत् 2050–53 खाता संख्या 315 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन तहसील छबडा सम्वत् 2054–57 खाता संख्या 318 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन तहसील छबडा सम्वत् 2058–61 खाता संख्या 363 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन तहसील छबडा सम्वत् 2062–65 खाता संख्या 407 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन तहसील छबडा सम्वत् 2066–69 खाता संख्या 425 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन तहसील छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 438 पेश की गई। फाटो प्रति आधार कार्ड धनराज, आधार कार्ड नाथूलाल, आधार कार्ड गीता बाई आधार कार्ड, शान्ति बाई आधार कार्ड, दिनेश कुमार आधार कार्ड, रिंकु नागर आधार कार्ड, कान्ति बाई आधार कार्ड, द्वोपती बाई पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कडैयावन तहसील छबडा में स्थित है। प्रार्थी के नाम साथ वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रिज्यूमशन दर्ज है विवादित आराजी प्रार्थीगण की पैत्रक आराजी है जो प्रार्थीगण को विरासत से मिली है। विवादित आराजी सम्वत् 2046–49 में नारायण व गोपाल पुत्र मोतीलाल के नाम दर्ज थी गोपाल की मृत्यु के बाद गोपाल के वारिसान का नाम नामान्तरण संख्या 681 से दर्ज हुए। सम्वत् 2058–61 एवं 2062–65 तथा 2066–69 में उक्त भूमि नारायण पुत्र मोतीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। सम्वत् 2046–57 तक भूमि में खातेदान के साथ माफियात रिज्यूमशन दर्ज नही था। सम्वत् 2074–77 में खातेदारान के नाम के साथ रिज्यूमशन दर्ज हो गया। जबकि पूर्व में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सम्वत् 2046–57 तक माफियात रिज्यूमशन दर्ज नही था। प्रार्थीगण के नाम के साथ रिज्यूमशन दर्ज होने से प्रार्थीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थी विधिक खातेदार कृषक है प्रार्थीगण के खाते से रिज्यूमशन हटाया जाना अति आवश्यक है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

तहसीलदार छबडा से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम कडैयावन के खाता संख्या 438 के खसरा नम्बर 25 रकबा 3.8824 है0 में वर्तमान में खातेदार के आगे माफियात रिज्यूमशन शब्द दर्ज आ रहा है जो कि सेटलमेन्ट/बन्दोवस्त सम्वम् 2012–31 में उपभोक्ता या भोक्ता के कॉलम में साहब जादा अब्दुल रहमान खा वल्द मो0 अली खा कोम मुसलमान सा0टोक एवं कृषक के कॉलम में मोतीलाल वन्द ओकांर कोम धाकड सा0देह दर्ज था तत्पश्चात् जमाबन्दी 2021–24 में उपभोक्ता या भोक्ता के कॉलम में माफी साहब जादे सा0 मजकुर एवं कृषक के कॉम में मोतीलाल पुत्र ओंकार दर्ज हुआ जमाबन्दी सम्वत् 2029–32 से टिप्पणी वाले कॉलम में रिज्यूम माफी दिनांक 1.07.2058 दर्ज हुआ वर्तमान जमाबन्दी 2074–77 में खाते में माफियात रिज्यूमशन दर्ज है अतः गत रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया है कि सेटलमेन्ट से ही खाता माफी का होना पाया गया है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2046–49 खाता संख्या 308 में नारायण गोपाल पुत्र मोतीलाल का नाम दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2050–53 में नारायण गोपाल पुत्र मोतीलाल दर्ज है जमाबन्दी के कॉलम संख्या 14 से 17 में नामान्तरण संख्या 681 से गोपाल फोत होने पर उसके वारिसान जगदीश प्रसाद, बाबूलाल, श्रीलाल, हेमराज पुत्र विमला बाई चन्द्रकला पुत्री गुलाब बाई बेवा का नाम खाते दर्ज करने का नोट अंकित है नकल जमाबन्दी ग्रा कडैयावन 2054–57 में प्रार्थीगण का नाम दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम काडैयावन 2058–61 सम्वत 2062–65 सम्वत् 2066–69 सम्वत् 2074–77 में प्रार्थीगण के नाम के साथ रिज्यूमशन दर्ज है सम्वत् 2046–57 तक की जमाबन्दी में प्रार्थीगण के नाम के साथ रिज्यूमश दर्ज नही था। परन्तु सम्वत् 2058 से वर्तमान तक जमाबन्दी में पुनः रिज्यूमशन दर्ज है अर्थात् सम्वत् 2057 के बाद रिज्यूमशन दर्ज कर दिया गया इससे पहले रिज्यूमशन खातेदार के नाम साथ दर्ज नही था। भूमि के फोंती नामान्तरण व रहन के नामान्तरण दर्ज हुए है तथा सहमति बटवारे का नामान्तरण भी दर्ज किया गया। परन्तु वर्तमान में राजस्व रिकार्ड ऑन लाईन होने के कारण नामान्तरण की समस्या आ रही है एवं रिकार्ड दुरूस्त नही हो पा रहा है।
इस वाद को निर्णित करने हेतु यहां जागीरदारी एक्ट की धारा 9 एवं आ0टी0एक्ट की धारा 15 विचारणीय है :–

जागीरदारी एक्ट की धारा–9 :– "जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार,पट्टेदार,खादिमदार के रूप में या की अन्य रूप में जिसमें यहां अन्तहित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवंशिक और पूर्ण अन्त के अधिकार प्राप्त है,दर्ज है। ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगें और वह ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा "

आ0टी0एक्ट की धारा–15 :– प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय भूमि के शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी के अलावा अन्य प्रकार का आसामी हो या जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी या राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 101

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन तथा उनके अनुसरण में भूमि का आवंटिती के अतिरिक्त आसामी की हैसियत से प्रविष्ट कर लिया जाय अथवा जो इस अधिनियम के या राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिज्युमशन ऑफ जागीर्स एक्ट 1952 (राज. एक्ट 6, सन् 1952) के अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के उपबन्धों के अनुसरण में भूमि खातेदारी अधिकार अर्जित करता है खातेदार आसामी होगा, और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहतें हुए इस अधिनियम द्वारा खातेदार आसामी को प्रदत्त समस्त अधिकारों का हकदार होगा तथा आरोपित समस्त दायित्वों के अधीन रहेगा।

उपरोक्त के क्रम में ,इस प्रकरण में वादी पूर्व में खातेदार था तथा तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादी का लगातार कब्जा काश्त रहा है। तथा माफी रिज्यूम होने से वादी को किसी प्रकार का ऋण आदि का लाभ नही मिल पा रहा है जिससें वादी को समस्याओं का सामना करना पड रहा है। अतः जमाबन्दी से माफी रिज्युमशन हटाया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाकें ग्राम कडैयावन तहसील छबडा के खसरा नम्बर 25 रकबा 3.8824 है0 भूमि में प्रार्थीगण के नाम के साथ दर्ज माफियात रिज्यूमशन शब्द को हटाने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा